

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के परिनियम

परिभाषायें –

1. इन परिनियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
 - 1) 'अधिनियम' से राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है, एवं
 - 2) 'अधिकारियों', 'प्राधिकारियों', 'आचार्यों', (प्राफ़ेसर) 'सह-आचार्यों'(रीडर) 'सहायक आचार्यों (लैक्चरार)', लिपिक वर्गीय कर्मचारियों एवं सेवकों से विश्वविद्यालय के क्रमशः 'अधिकारी', 'प्राधिकारी', - 'आचार्य', (प्राफ़ेसर) 'सह-आचार्य' (रीडर), सहायक आचार्य (लैक्चरार), लिपिक वर्गीय कर्मचारी एवं सेवक अभिप्रेत हैं ।

कार्य परिषद् की बैठकें –

2. कार्य परिषद् की बैठक सामान्यतया प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार तथा अन्य समय पर जब कुलपति द्वारा बुलाई जाये, आयोजित की जाएगी। कार्य परिषद् के निर्धारित सदस्यों के 1/3 सदस्य संख्या से गणपूर्ति होगी।

विद्या परिषद् की बैठकें –

3. विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार, तथा अन्य समय पर कुलपति द्वारा बुलाई जाये, आयोजित की जाएगी। आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

संकायों की बैठकें –

4. संकायों की बैठक सामान्यतया वर्ष में एक बार तथा अन्य समय पर जब कुलपति की सहमति से संकाय के अधिष्ठाता या उनकी ओर से कुलसचिव द्वारा बुलाई जाए, आयोजित की जाएगी। आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

उपाधियों एवं उपाख्याओं (डिप्लामा) का प्रत्याहरण –

5. कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की दृष्टि से अन्याय सहमति से पारित प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि, उपाख्या (डिप्लामा) या किसी अन्य सम्मान का प्रत्याहृत कर सकेगा। किन्तु उपाधि के प्रत्याहरण के पूर्व उसके कारणों का आवश्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

मानद उपाधियों का प्रत्याहरण –

6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी मानद उपाधि कार्य परिषद् के उपवेशन में, उपस्थित एवं मत देने वाले दृष्टि से सदस्यों के पूर्व अनुमोदन तथा कुलाधिपति की स्वीकृति से प्रत्याहृत की जा सकेगा किन्तु उपाधि के प्रत्याहरण के पूर्व उसके कारणों का आवश्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के शिक्षक –

7. विश्वविद्यालय के ऐसे आचार्य पदों, सह आचार्य पदों (रीडरों), सहायक आचार्य पदों (प्राध्यापकों) एवं विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापन पदों का, जिन्हें विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, सृजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें परिलब्धियां तथा कर्तव्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों का चयन/नियुक्ति -

8. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों का चयन/नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम (1974 का सं. 18) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा।

विश्वविद्यालय-निधियां –

9. विश्वविद्यालय की निधियां कार्य परिषद् द्वारा प्रशासित की जायेंगी। ये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानात् स्वयत्त शासन या अन्य निकाय के अभिदाय, सहायता या अनुदान के प्राप्त धन या अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय को हुई प्राप्तियों से गठित होंगी।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे –

10.

- 1) वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र वित्त अधिकारी एवं अन्य कृत्यकारियों के परामर्श से कुलसचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे।
- 2) इनकी किसो एक सनदी लेखाकार द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी।
- 3) आगामो वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन वित्त अधिकारी एवं अन्य कृत्यकारियों से परामर्श कर कुलसचिव द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी के अन्त तक वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जायेंगे।

वित्त-समिति –

11.

- 1) कार्य परिषद् को वित्त के मामलों में सलाह देने के लिए एक वित्त समिति होगी।
- 2) विश्वविद्यालय का एक वित्त अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय की निधियों के वित्तीय प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगा।
- 3) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे –
 - क) कुलपति (अध्यक्ष)

- ख) कार्य परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट ताम्र व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक वित्तग्र मामलों का जानकार हगा ।
- ग) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दृ से अनधिक विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के ऐसे अध्यक्ष जृ रूपर उपखण्ड (II) के अधाम्र नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व न किए गये संकायों से सम्बन्धित हों ।
- घ) वित्त सचिव, राजस्थान सरकार या उसका नामनिर्देशित जृ उप-सचिव के पद से नग्रे का न हृ ।
- ङ) सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार या उसका नामनिर्देशित जृ उप-सचिव के पद से नग्रे का न हृ ।
- च) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी , सदस्य-सचिव ।

वित्त समिति के सदस्यों की पदावधि ताम्र वर्ष की हगा । तथापि वित्त समिति के नाम निर्देशित सदस्य नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।

4) वित्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे -

- क) वार्षिक बजट अनुमानों की परीक्षा करना तथा उस पर कार्य परिषद् कृ सलाह देना ।
- ख) विश्वविद्यालय के लेखों तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धृ आपत्तियों तथा उनके उत्तरों की समाक्षा करना, एवं
- ग) विश्वविद्यालय के समस्त वित्त सम्बन्धृ मामलों में एवं विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों में कार्य परिषद् कृ सिफारिश करना ।

- 5) कुलपति वेतन भत्ता एवं भविष्य निधि अंशदान (प०एफ. कन्ट्रीब्यूशन) से सम्बन्धित शर्षकों का छाड़कर एक बजट शर्षक से अन्य विभिन्न शर्षकों में पुनर्विनियोग की स्वाकृति दे सकेगा ।

स्वास्थ्य एवं आवास बरुड -

12. विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एवं आवास बरुड शामिल हणुगा, जिसका गठन एवं कार्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

शिक्षकों का चयन -

13.

- 1) किस० परीक्षा के लिए कर्ुड व्यक्ति किस० विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं हणुगा, जब तक कि उसने -

क) उस परीक्षा के स्तर पर कम से कम त्रुन वर्ष उस विषय क० नहीं पढाया ह० तथा उस विषय में वह पांच वर्ष के अध्यापन का अनुभव नहीं रखता ह० या

ख) सम्बन्धित परीक्षा के स्तर का उस विषय में परीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त न कर लिया ह० ।

परन्तु यह कि -

सम्बन्धित विषय का 3 वर्ष का कुल अध्यापन अनुभव रखने वाले किस० एक आन्तरिक व्यक्ति क० सिद्धान्त (थ्यरुड्री) के लिए सह-परीक्षक या अवस्नातक परीक्षा हेतु प्राय०गिक (यदि हर्ुड विहित किये गये हों) के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा । समस्त पात्र आन्तरिक व्यक्तियों की सूच० के समाप्त हणुने के बाद जब और अधिक परीक्षकों की आवश्यकता ह० तथा जहां प्राय०गिक परीक्षाओं क० संचालित करने के

लिए आन्तरिक परीक्षक क० कई पारिश्रमिक संदेय नहीं ह० और अपेक्षित न्यूनतम अध्यापन-अनुभव रखने वाला कई शिक्षक संस्था में उपलब्ध न ह० त० ताम्र वर्ष से कम के अध्यापन-अनुभव रखने वाले शिक्षक क० भ० सम्बन्धित प्राचार्य की सिफारिश पर प्रायःगिक परीक्षाओं के लिए आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा । परन्तु उन विषयों में जिनमें उपरिवर्णित अर्हताएं रखने वाले परीक्षक उपलब्ध न हों, त० सम्बन्धित विषय/अनुशासन (डिसिप्लिन) के सुप्रसिद्ध विद्वानों/विशेषज्ञों क० परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

स्पष्टकरण –

विधि द्वारा स्थापित किस० भारत० विश्वविद्यालय में या विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा अनुम०दित किस० ऐस० संस्था में अध्यापन या परीक्षकत्व के अनुभव क० ही इस उपपरिनियम के प्रयोजन के लिए संगणित किया जाएगा ।

2)

क) प्रत्येक अध्ययनबाई एक नामिका तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

- i. समस्त अर्हता प्राप्त आन्तरिक परीक्षक, एवं
- ii. उतने बाह्य परीक्षक, ज० विश्वविद्यालय की अधिस्नातक परीक्षा सहित समस्त परीक्षाओं के समस्त विषयों के लिए 5 वर्ष की अवधि तक परीक्षायें कराने हेतु आवश्यक ह० । परीक्षक चयन समिति नामिका से परीक्षकों का चक्रानुक्रमशः चयन करेगा० तथा नामिका से बाहर के व्यक्ति क० तब तक परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसमें अन्तर्विष्ट व्यक्ति उपलब्ध नहीं ह० रहा है या वह ड्रेस में इसके पश्चात० अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

ख) सामान्यतया परीक्षक नामिकाओं का प्रतिवर्ष परिशाधित किया जावेगा तथा पूर्व नामिकाओं के ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें गत 5 वर्ष की अवधि में परीक्षक के बतौर कार्य करने का अवसर नहीं मिला है, परिशाधित नामिकाओं में अन्यो के मुकाबले वरीयता दी जावेगा।

ग) यह उप-परिनियम डॉक्टरेट डिग्रि के परीक्षकों पर लागू नहीं हणगा ।

- 3) निरन्तर ताम्र वर्ष परीक्षक के रूप में कार्य करने के बाद उस व्यक्ति का पुनः परीक्षक नियुक्त किए जाने से पूर्व कम से कम एक वर्ष का अन्तराल रखा जाएगा । तथापि आन्तरिक परीक्षकों के मामले में इस शर्त का शिथिल किया जा सकेगा, जबकि समस्त अर्हता पात्र आन्तरिक व्यक्तियों की नामिका समाप्त हण जाए तथा और अधिक परीक्षकों की आवश्यकता पड़त हण अथवा सम्बन्धित विषय/अनुशासन (शास्त्र) में परीक्षक उपलब्ध न हण ।

परन्तु इन व्यक्तियों में से जिन्होंने किस भण एक वर्ष में सह-परीक्षक के रूप में कार्य किया है, आगामि वर्ष के लिए केवल आधे व्यक्तियों का प्रति स्थापित किया जाएगा ।

- 4) किस विशेष परीक्षा के लिए किस विशेष प्रश्न पत्र में एक ही महाविद्यालय या संस्था से एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह शर्त स्नातकस्तर परीक्षाओं के मामले में, जहां आवश्यक हण शिथिलनप्र हण ।

- 4) किस भण व्यक्ति का जण स्वयं विश्वविद्यालय की किस लिखित परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है, विश्वविद्यालय की किस परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । यदि किस ऐसे व्यक्ति का परीक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, तण वह कुलसचिव का तुरन्त इस आशय की सूचना देगा कि वह उक्त प्रकार परीक्षा देना चाहता है।

टिप्पणा –

- उपर्युक्त प्रतिबन्ध उपाख्या (डिप्लोमा)/प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम परीक्षा में बैठने वाले शिक्षकों के मामले में लागू नहीं हएगा ।
- 6) कई भए व्यक्ति किसए ऐसेए परीक्षा के लिए, जिसमें उसका कई निकट का सम्बन्धए उस वर्ष बैठने का इरादा रखता है, किसए विषय में प्रश्न-पत्र निर्माता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । प्रत्येक प्रश्न-पत्र निर्माता उसकी नियुक्ति किए जाने के बाद, यथाशक्य शएघ्नतया कुलसचिव कए यह संसूचित करेगा कि क्या उसका कई सम्बन्धए उक्त परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है।
- 7) विश्वविद्यालय में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के लिए किसए परीक्षक कए आवंटित की गई, उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या तएज सौ से अधिक नहीं हएगाए परन्तु यह कि पूरक परीक्षाओं के मामले में यह संख्या दए सौ से अधिक नहीं हएगाए ।
- 8)
- क) प्रत्येक परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न-पत्र वाले विषय में कम से कम एक बाह्य प्रश्न-पत्र निर्माता (पेपर सैटर) हएगा ।
- ख) प्रायःगिक परीक्षा के लिए जहां आवश्यक हए आन्तरिक परीक्षक, सम्बन्धित संस्थाओं के उन अध्यापकों में से नियुक्त किए जाने चाहिए, जए सम्बन्धित विशेषकरण के क्षेत्र में प्रायःगिक कक्षाएं ले रहे हैं । नियुक्त किए गए व्यक्ति कए सम्बन्धित शाखा में न्यूनतम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव हएजा चाहिए । यदि किसए शाखा में ऐसा कई व्यक्ति उपलब्ध न हए तए विभागाध्यक्ष कए आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा ।

- 9) कार्य परिषद्, परीक्षक चयन समिति की सिफारिश पर लिखित में कारणों का अभिलिखित करने के बाद अपवादात्मक मामलों में उप-परिनियम (4-8) के उपबन्धों का अधित्यजन कर सकेगा।

स्पष्टाकरण -

इन परिनियमों में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो 'परीक्षक' में 'सह-परीक्षक' भी शामिल है।

सम्बद्ध महाविद्यालय प्रबन्धन -

14.

- 1) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय एक 'लक्ष शैक्षिक संस्थान' होगा।
- 2) सम्बद्ध महाविद्यालय की समस्त निधियों का प्रयत्न उसके स्वयं के शैक्षिक प्रयत्नों के लिए किया जाएगा, तथा ऐसे महाविद्यालय जो सरकार द्वारा प्रबन्धित नहीं हैं, पूर्ण रूप से नियमानुसार गठित शासक निकाय द्वारा नियन्त्रित होंगे। शासक निकाय में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, प्राचार्य तथा अध्यापन कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित कम से कम एक अध्यापक सदस्य शामिल होगा। शासक निकाय के गठन से सम्बन्धित नियम वे होंगे जो महाविद्यालय के उचित प्रबन्धन का सुनिश्चियन करेंगे।

विशेष -

विश्वविद्यालय के नाम निर्देशित की पदावधि तम शैक्षणिक वर्षों के लिए होगा तथा जो व्यक्ति एक बार नियुक्त किया गया है, पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा। छः वर्षों के अंतराल के बाद वही व्यक्ति नामनिर्देशन के लिए पुनः पात्र हो सकेगा।

- 3) शासक निकाय/प्रबन्धन के संविधान में किया गया कोई भी परिवर्तन कार्य परिषद् के अनुमोदन के अधीन होगा ।
- 4) महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 5) प्रत्येक गैर सरकारी महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में प्राचार्य के अध्यापन पद पर तथा अन्य अध्यापन पदों पर नियुक्तियां विज्ञापन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार तथा निम्न निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर करेगा । परन्तु यह कि यदि कोई उच्चतर पद पदपूर्ति से भरा जाना हो तब वही चयन समिति पदपूर्ति समिति समझा जाएगा तथा सभी पदपूर्तियां उक्त समिति की सिफारिश पर की जाएंगी । परन्तु यह कि यदि कोई उच्चतर पद पदपूर्ति से भरा जाना हो तब वही चयन समिति पदपूर्ति समिति समझा जाएगा तथा सभी पदपूर्तियां उक्त समिति की सिफारिश पर की जाएंगी । चयन/पदपूर्ति समिति के सदस्यों को कम से कम एक पखवाड़े पूर्व सूचना दी जाएगी ।

क) प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे -

- i महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति का सभापति या उपसभापति ।
- ii प्रबन्धन समिति का एक नामनिर्देशित ।
- iii राज्य सरकार का एक नामनिर्देशित जो शिक्षाविद् हो (केवल सरकार से सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में), एवं

iv राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में दण्ड शिक्षाविद् तथा राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले महाविद्यालयों की दशा में ताम्र शिक्षाविद् कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

चार सदस्यों से गणपूर्ति हण्डण्ड परन्तु उसमें कम से कम दण्ड शिक्षाविद् उपस्थित हण्डण्ड आवश्यक है ।

ख) प्राचार्य के अतिरिक्त अन्य समस्त अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नानुसार नौ से अनधिक सदस्य होंगे -

- i महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति का सभापति या उप-सभापति ।
- ii प्रबन्धन समिति का एक नाम-निर्देशितण्डण्ड ।
- iii महाविद्यालय का प्राचार्य ।
- iv राज्य सरकार का एक नामनिर्देशितण्डण्ड (केवल सरकार से सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की दशा में) ।
- v प्रबन्धन समिति द्वारा नियुक्त दण्ड विषय-विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा अनुमण्डण्डित नामिका से)
- vi कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि एवं
- vii महाविद्यालय का संबन्धित विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित विषय का वरिष्ठतम शिक्षक बशर्ते कि वह किसण्डण्ड महाविद्यालय में कम से कम 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हण्डण्ड जिसमें उसने उसण्डण्ड

संस्था में कम से कम पांच वर्ष तक प्राध्यापक पद पर सेवा पूर्ण की ह।

पांच सदस्यों से गणपूर्ति ह। परन्तु उसमें कम से कम एक विषय-विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक है।

विशेष -

विश्वविद्यालय के नामनिर्देशित की अवधि तम शैक्षणिक वर्ष ह। एक बार नियुक्त व्यक्ति पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र ह।

ग) उपर्युक्त पैरा (क) तथा (ख) में संदर्भित चयन समिति प्रबन्धन समिति क सूचित करेग। यदि प्रबन्धन समिति सिफारिश स्वकार कर लेत है त वह नियुक्तियां करेग। यदि असहमत ह। है त वह नय सिफारिश के निवेदन के साथ चयन समिति क मामला वापस भेजेग। प्रबन्धन समिति, चयन समिति की सिफारिशों पर उसके द्वारा की गय कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव क सूचित करेग।

6) प्रत्येक महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रशासन में प्राचार्य के परामर्श के लिए यथाविधि गठित एक महाविद्यालय परिषद् ह। जिसमें शैक्षिक स्टाफ का उचित प्रातिनिध्य ह।

7) कई भ सम्बद्ध संस्था विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना किस विषय/संकाय क बन्द नहीं कर सकेग।

ऐस अनुमति के लिए एक आवेदन-पत्र संस्था के अध्यक्ष द्वारा कुलसचिव क दिया जाएगा, ज प्रस्ताव के समर्थन में कारणों क बतलाते हुए कम से कम एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष पूर्व प्रबन्धन समिति द्वारा विधिवत अग्रेषित किया जाएगा।

- 8) प्रत्येक महाविद्यालय, ज० सरकार द्वारा प्रबन्धित नहीं है, महाविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्य परिषद् का समाधान सावधिक जमाओं/या उसका संधारण करने वाले व्यक्ति या निकाय के वचनबन्ध के रूप में करेगा और यह कि महाविद्यालय संस्थाय० तौर पर कायम किया गया है तथा यदि कभ० महाविद्यालय के संचालन के लिए शास० निकाय असमर्थ रहेगा त० न्यूनतम एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के पूर्व कार्य परिषद् क० सूचित करेगा ताकि कार्य परिषद् महाविद्यालय क० सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासक की नियुक्ति या अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध कर सके ।
- 9) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों का संधारण करेगा ज० अध्यादेशों (आर्डिनेन्सेज) द्वारा विहित किये जायेंगे तथा ऐस० सांख्यिकीय एवं अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जिसे विश्वविद्यालय समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा।
- 10) प्रत्येक महाविद्यालय कार्य परिषद् द्वारा निश्चित दिनांक तक प्रतिवर्ष महाविद्यालय का पिछले वर्ष का कार्य प्रतिवेदन, जिसमें स्टाफ या प्रबन्धन में परिवर्तन की परिस्थितियों, विद्यार्थियों की संख्या, आय एवं व्यय का विवरण तथा अन्य सूचना ज० आवश्यक ह० का समुचित उल्लेख ह०, विश्वविद्यालय क० प्रस्तुत करेगा ।

अनुदेश -

15. प्रत्येक महाविद्यालय ऐस० परीक्षाओं तथा ऐसे विषयों की तैयारी के लिए शिक्षा देगा, जिनके लिए वह कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया जाएगा।

शैक्षिक दक्षता -

16. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय क॥ एतदर्थ आश्वस्त करेगा कि वह छात्रों की शिक्षा, आन्तरिक परीक्षा प्रवृत्ति, शैक्षिक मार्गदर्शन तथा अन्य समस्त मामलों में, जिनके लिये मान्यता चाही गयी है या प्राप्त है, के प्रयोजनार्थ शैक्षणिक दक्षता का एक सन्तुष्ट स्तर संधारित किए हुए है।

व्यवस्थापन एवं प्रबन्धन -

17. प्रत्येक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय क॥ आश्वस्त करेगा कि वह सभ॥ अपेक्षाओं में उपयुक्त रूप से व्यवस्थापित है तथा संचालित है।

अध्यापन स्टाफ -

18.

- 1) प्रत्येक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का इससे समाधान करेगा कि प्रत्येक विषय में उसके अध्यापन कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी अर्हताएं समुचित हैं, तथा विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्धारित नियमों के अनुसार हैं, एवं यह कि उनकी परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें वे हैं, ज॥ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं।
- 2) प्रत्येक महाविद्यालय छात्र-शिक्षक अनुपात ऐसा बनाये रखेगा, ज॥ अध्यादेशों द्वारा विहित न्यूनतम संख्या से न्यून नहीं होगा तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक परिवर्द्धन के लिये पर्याप्त होगा।
- 3) महिला महाविद्यालय का स्टाफ जहां तक संभव है महिलाओं का होगा।
- 4) गैर सरकारी महाविद्यालय में प्रत्येक शिक्षक क॥ एक लिखित संविदा के अधीन नियोजित किया जायेगा, जिसमें उसकी सेवा की शर्तों का तथा उसे दिए जाने वाले संवेतन का उल्लेख होगा, तथा उस संविदा की एक प्रति शिक्षक क॥ दी जाएगी तथा एक प्रति विश्वविद्यालय की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

- 5) किस० सम्बद्ध गैर सरकारी महाविद्यालय तथा अध्यापक सदस्यों, जिनमें प्राचार्य भ० शामिल है, के मध्य किस० संविदा के कारण उत्पन्न किस० भ० प्रकार के विवाद या मतभेद क० मध्यस्थ के लिए निर्देशित किया जायेगा तथा सहायता-अनुदान अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर उसे अवधारित किया जाएगा ।
- 6) प्रत्येक महाविद्यालय, ज० सरकार द्वारा प्रबन्धित नहीं है, महाविद्यालय के अध्यापन स्टाफ के लाभार्थ कार्य परिषद् द्वारा विनिर्धारित नियमों के अनुसार एक प्रावधाय० निधि का संधारण करेगा ।
- 7) संबद्ध महाविद्यालय द्वारा कदाचार के लिए सेवा से बरखास्त(डिसमिस्ड) किये गये किस० शिक्षक क० कुलपति की लिखित में पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना किस० अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय में नियुजित नहीं किया जाएगा ।

विद्यार्थियों का प्रवेश –

19. प्रत्येक महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश इस सम्बन्ध के अध्यादेशों/नियमों द्वारा विनिर्धारित शर्तों के अध्यधान्न होगा ।

अवधि एवं अवकाश –

20. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अवधियों एवं अवकाशों का अनुसरण करेगा ।

महाविद्यालय का शुल्क (फीस) –

21. प्रत्येक संघटक महाविद्यालय में सभ० प्रकार के वे ही शुल्क वसूल किये जायेंगे ज० समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्धारित किये जाएंगे ।

स्थान/सुविदा एवं उपस्कर –

22. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय क॥ आश्वस्त करेगा कि उसके भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के उपकरण तथा अन्य समस्त उपस्कर/साजसामान सन्तुष्टप्रद हैं ।

पुस्तकालय –

23. प्रत्येक महाविद्यालय अपने पुस्तकालय की पर्याप्तता तथा उसकी पुस्तक अवदान एवं सूचकांकण पद्धति की उपयुक्तता के बारे में विश्वविद्यालय क॥ आश्वस्त करेगा ।

अनुशासन, स्वास्थ्य एवं निवास –

24.

- 1) प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का समाधान करेगा कि महाविद्यालय एवं छात्रावास में उचित अनुशासन संधारित किया हुआ है।
- 2) प्रत्येक महाविद्यालय, माता-पिता या मान्य संरक्षक के साथ नहीं रहने वाले विद्यार्थियों के आवास के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा, तथा अपने विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम एवं स्वास्थ्य के लिए समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा तथा चिकित्सकीय परीक्षण (जांच) एवं आवासाध्य देखभाल के लिए एक कुशल प्रणाली क॥ काम में लेगा । महाविद्यालयों या उनके छात्रावासों में निवास विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नियमों द्वारा विनियमित होगा ।
- 3) प्रत्येक महाविद्यालय एवं उसके छात्रावासों का स्वास्थ्य एवं निवास के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं आवास बोर्ड या कार्य परिषद् की ओर से निरीक्षण किया जा सकेगा ।

- 4) प्रत्येक महाविद्यालय, ज० पुरुष विद्यार्थियों की तरह महिला विद्यार्थियों क० भ० प्रवेश देता है, उसे महिला विद्यार्थियों के लिए अलग से विश्रान्तिकक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करान० ह०गा० ।

निरीक्षण एवं मान्यता -

25.

- 1) प्रथम बार या अस्थायी/अन्तःकालीन सम्बन्धन की अवधि में वृद्धि के लिए या अतिरिक्त विषयों में या अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए या स्थायी सम्बन्धन के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय, उचित माध्यम से अध्यादेशों के अध्यादेश यथाविहित आवश्यक शुल्क के साथ उस शैक्षणिक वर्ष से, पूर्व जिससे मान्यता प्रभावित ह०गा० है, अधिकतम 31 दिसम्बर तक एक लिखित आवेदन पत्र कुलसचिव क० देगा तथापि उसके बाद किन्तु अधिकतम 30 अप्रैल तक भ० आवेदन पत्र क० विचारार्थ ग्रहण किया जा सकेगा । बशर्ते कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के संतुष्ट के लिये विशेष विधिमान्य कारण दिये गये हों तथा आवेदन पत्र के साथ 1000 रुपये का विलम्ब शुल्क लगाया गया ह०गा० । अनन्तिम सम्बन्धन की वृद्धि के लिए या स्थाई सम्बन्धन के लिए आवेदन पत्र क० 30 अप्रैल के बाद किन्तु अधिकतम शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ ह०गने की तिथि तक भ० विश्वविद्यालय के विवेकाधीन विशेष मामले के बतौर में स्व०कार किया जा सकेगा, बशर्ते कि वह रुपये 3000 (तीन हजार) विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया ह०गा० ।
- 2) मान्यता आवेदन क० तत्प्रयोजनार्थ संस्था का निरीक्षण किए जाने से पूर्व किस० भ० समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा ।
- 3) मान्यता किस० भ० दशा में भूतलक्ष० प्रभाव से स्व०कार नहीं की जाएगी ।

- 4) कार्य परिषद् प्रत्येक महाविद्यालय के आवधिक निरीक्षण के लिए प्रावधान करेगा तथा किस भी समय वह निरीक्षण करवा सकेगा ।
- 5) कार्य परिषद् क महाविद्यालय से सम्बन्धित किस भी मामले में जांच करवाने की शक्ति प्राप्त होगा । प्रत्येक मामले में जांच करवाये जाने के आशय की सूचना महाविद्यालय के प्रबन्धन क दी जायेगा तथा प्रबन्धन उसमें प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अधिकृत होगा ।
- 6) कार्य परिषद् पूर्वोक्त (4 व 5) खण्डों के अधिन किये गए निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप किस भी मामले पर संबंधित महाविद्यालय क ऐसे कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे सकेगा ज विनिर्दिष्ट की जायेगा और महाविद्यालय निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से यथा निर्देश कार्यवाही करेगा ।
- 7) कार्य परिषद् की उचित जांच के बाद किस भी महाविद्यालय क ज कि परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा विहित या मान्यता देने के दिनांक क या उसके बाद किस दिनांक क कार्य परिषद् द्वारा अधिरूपित शर्तों के अनुसार संचालित नहीं किया जाता है, त महाविद्यालय की दी गय मान्यता क प्रत्याहृत करने की शक्ति प्राप्त होगा । कार्य परिषद् ऐसे प्रत्येक जांच में महाविद्यालय क उपस्थित हजे एवं महाविद्यालय की ओर से अभ्यावेदन करने के लिए आवश्यक रूप से अवसर प्रदान करेगा तथा वह ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन अपन सम्मति अभिलिखित करेगा
- 8) कार्य परिषद् क निरीक्षण के बाद किस भी विषय या अध्ययन पाठ्यक्रम की मान्यता क प्रत्याहृत करने की शक्ति प्राप्त होगा ।

निरीक्षक -

26.

- 1) महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण बॉर्ड एक नामिका में से, जहाँ बॉर्ड द्वारा बनाई जाएगी एवं प्रतिवर्ष परिशोधित की जाएगी निरीक्षकों को नियुक्त करेगा। नामिका में निम्नलिखित होंगे – अर्थात्

क) स्नातक महाविद्यालयों के लिए –

- i. विश्वविद्यालय के आचार्य एवं सह आचार्य,
- ii. स्नातक एवं स्नातकस्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य
- iii. सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकस्तर विभागों के अध्यक्ष एवं
- iv. स्नातक या स्नातकस्तर कक्षाओं के अध्यापन का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षक, जिसमें स्नातकस्तर स्तर पर अध्यापन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ख) स्नातकस्तर महाविद्यालयों के लिए –

- i. विश्वविद्यालय के या किस-मान्य भारतिय विश्वविद्यालय के आचार्य (प्रोफेसर)
- ii. विश्वविद्यालय से या किस-भारतिय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातकस्तर महाविद्यालय का प्राचार्य, एवं
- iii. विश्वविद्यालय का सह-आचार्य (रीडर)

विशेष –

अपवादात्मक मामलों में ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकेगा, जिन्होंने उक्त पदों को धारण किया है।

2) निरीक्षण बॉर्ड द्वारा बाहर भेजे जाने वाले निरीक्षकों की संख्या निम्नप्रकार से
संमित होगी -

क) स्नातक महाविद्यालय -

- i. नवान्न सम्बन्ध के लिए - प्रत्येक संकाय के लिए एक व्यक्ति,
किन्तु किस भी मामले में दो से कम नहीं ।
- ii. अतिरिक्त विषयों में सम्बन्धन के लिए - प्रत्येक संकाय के लिए
एक व्यक्ति।

ख) स्नातकस्तर विषयों में सम्बन्धन के लिए - प्रत्येक विषय के लिए एक
व्यक्ति ।

ग) आवधिक निरीक्षण के लिए - स्नातक महाविद्यालयों एवं केवल एक संकाय
में स्नातकस्तर कार्य कर रहे महाविद्यालयों के लिए दो व्यक्ति, एक से
अधिक संकायों में स्नातकस्तर कार्य करने वाले महाविद्यालयों के लिए तीन
व्यक्ति एवं अनुमोदित संस्थाओं के लिए दो व्यक्ति ।

अनुसंधान केन्द्र -

27.

1) अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित इकाइयों से गठित होगा ।

क) अनुसंधान-बॉर्ड

ख) प्रकाशन एवं भाषान्तरण बॉर्ड

ग) संग्रहालय एवं निक्षेपागार

घ) प्रौद्योगिकी इकाई, जिसमें माइक्रोफिल्मिंग, कम्प्यूटरीईजेशन एवं फोटो
कॉपिंग आदि शामिल हैं ।

2) अनुसंधान केन्द्र के कृत्य निम्नलिखित होंगे -

- क) विश्वविद्यालय में अनुसंधान की व्यवस्था एवं समन्वय करना ।
- ख) अभिनव ज्ञान की सर्जना, नवजात अन्तर्दृष्टि विकसित करना, तथा पारम्परिक लक्षण से हटकर व्यापक चिन्तन एवं उत्कर्ष के अधिगम की संस्कृति को प्रोत्साहित करना ।
- ग) भारत के प्राचीन ज्ञानकोष में गहन अनुसंधान करने के लिए तथा उसे समसामयिक यथार्थता से सुसम्बद्ध करने के लिए भारतिय विद्या (इण्डोलॉजी), वैदिक, नैगमिक, आगमिक एवं शास्त्रिय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य पर विशेष जोर देना ।
- घ) पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन तामिल एवं ग्राक, लातिन, हिब्रू आदि जैसी अन्य श्रेण्य भाषाओं में भारतिय एवं विदेशी दलों गहन अध्ययन की व्यवस्था करना । इसका दुहरा प्रयोजन निम्नप्रकार होगा -
- i. इन भाषाओं में सम्मिलित ज्ञान एवं अनुभव की प्रामाणिकता एवं सुसंगतता को समकालीन वैज्ञानिक विचार एवं प्रौद्योगिकीय विकास के साथ सिद्ध करना ।
 - ii. विभिन्न भाषाओं, लिपियों एवं बालियों के बाह्य सामान्य एवं विभेदक विशेषताओं को ज्ञात करना । इससे भारतिय संस्कृति के आकलन में तथा विश्वसंस्कृति की स्थापना में भी मदद मिलेगी ।
- ङ) सामाजिक एवं सांस्कृतिक, विकास, रचनात्मकता एवं सुसम्बद्धता तथा अन्तरानुशासनिक अनुसंधान में गहन अध्ययन को प्रोत्साहित देना ।

- च) अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक, लाभों के लिए अनुसंधान के प्राथमिकता क्षेत्रों का परिचिन्हित करना ।
- छ) अपव्यय के अवरुधन तथा कर्मकौशल में सुधार लाने हेतु अपने स्वयं के कार्यसमुच्चय (नेटवर्क) से एक समंक आधार (डाटा बेस) तैयार करना ।
- ज) सह अनुसंधान में सहकारिता के क्षेत्रों का तलाशना ।
- झ) विद्यावारिधि शास्त्र उच्चतर अनुसंधान करने तथा निगूढ ज्ञान भण्डार के अन्वेषण एवं प्रकटीकरण के लिए प्राच्य विधाओं के निष्णात विद्वानों का उनकी मनाशा एवं विद्वता का समग्र उपयोग करने के प्रयत्न से विशेष संवर्गों के रूप में सहसंबद्ध करने की व्यवस्था करना ।
- ञ) सुदृढ कार्य पद्धति से आवधिक एवं सामयिक मूल्यांकन द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता का निरन्तर परिनिरीक्षण करते रहना ।
- ट) सभ्य शास्त्राग्र (क्लासिकल) भाषाओं के दुर्लभ ग्रन्थों, उपयोगी प्रकाशनों एवं पाण्डुलिपियों के एक पुस्तकालय का निर्माण करना, एवं
- ठ) आधुनिक एवं नवतम संयंत्रों/संसाधनों (एप्लायेसेज) से सुसज्जित एक रिप्रोग्राफी एवं मुद्रण संभाग विकसित करना ।

3) अनुसंधान बाँट -

- क) अनुसंधान केन्द्र में एक अनुसंधान बाँट हज्जा, जिसमें निम्नलिखित होंगे -
- कुलपति (अध्यक्ष)
 - विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग का वरिष्ठतम आचार्य
 - संकायों के अधिष्ठाता
 - अनुसंधान केन्द्र का निदेशक (सचिव)

एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगा। कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य, जो उस बैठक में उपस्थित हो अध्यक्षता करेगा ।

ख) अनुसंधान बोर्ड की सिफारिशों की सूचना विद्या परिषद् के माध्यम से कार्य परिषद् को दी जायेगी।

4) अनुसंधान बोर्ड के कार्य –

अनुसंधान बोर्ड के कार्य निम्न होंगे –

क) अनुसंधान कार्य के लिए पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के रूप में मान्यता देने हेतु न्यूनतम अर्हताओं की सिफारिश करना ।

ख) अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता के लिए संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करना तथा उन पर सिफारिश करना ।

ग) अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय के बाहर के विशिष्ट व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करना ।

घ) जहां विषय/संकाय में परिवर्तन हो, विद्यावारिधि/विद्यावाचस्पति की उपाधियों के लिए पंजायन के मामलों पर विचार करना ।

ङ) विद्यावारिधि/विद्यावाचस्पति के शाधप्रबन्ध (थिसिस) के परीक्षकों के बाध मतभेद के मामलों तथा इस विषय में नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आने वाले अन्य विशेष स्थितियों पर विचार करना ।

च) अनुसंधान का प्राप्नत करने तथा उसका उत्तम स्तर बनाए रखने के संबंध में विद्या परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किए गए अन्य कार्यो का निष्पादित करना ।

5) अनुसंधान केन्द्र का निदेशक –

क) अनुसंधान केन्द्र का निदेशक एक पूर्णकालिक संवेतन पाने वाला अधिकारी हऱा, जऱ चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिष्ठित अनुसंधानकर्ताओं में से जिनके कि उच्च स्तरीय प्रकाशित कार्य हों, नियुक्त किया जाएगा । चयन समिति में निम्नलिखित होंगे –

- i. कुलपति (अध्यक्ष)
- ii. कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए संस्कृत, पालऱ या प्राकृत के अनुसंधानकार्य में अनुभव रखने वाले दऱ प्रतिष्ठित विद्वानऱ

ख) –

- i. निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंधान प्रकाशनों का जिसमें विश्वविद्यालय में संस्कृत पाण्डुलिपियों (कैटलागिंग) का सूचाढद्ध करना भऱ शामिल है, पर्यवेक्षण करेगा ।
- ii. वह कार्य परिषद् द्वारा गठित एक सम्पादकबाँडे के मार्गदर्शन के अधऱ विश्वविद्यालय की अनुसंधान पत्रिका का सम्पादन करेगा।
- iii. वह विश्वविद्यालय की (अनुसंधान उपाधियों के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुसंधान से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त)अन्य समस्त अनुसंधानात्मक गतिविधियों पर कुलपति एवं विद्या परिषद् का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन देगा ।

6) अनुसंधान केन्द्र के निदेशक के लिए अर्हताएं –

अनुसंधान के निदेशक के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी –

- क) वेद-वेदांग, दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति, श्रमण विद्या, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान या किस-किस अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रकाशित कार्य के साथ एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, जो सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य में लगा रहा हो और जिसे किस-किस विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्यापन का तथा/अथवा अनुसंधानकार्य एवं विद्यावारिधि स्तर के अनुसंधान कार्य के लिए मार्गदर्शन करने का दस वर्ष का अनुभव हो। या
- ख) वह विश्रुत एवं सुप्रतिष्ठित ऐसा उत्कृष्ट विद्वान होना चाहिए, जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
- ग) उक्त परिणियमों में अन्तर्विष्ट किस-किस बात के होते हुए भी अनुसंधान केन्द्र का प्रथम निदेशक कुलपति की सिफारिश पर इस शर्त के अध्यापक कि वह तम वर्षों से अनधिक अवधि तक ही पद का धारण करेगा, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

7) प्रकाशन एवं भाषान्तरण बार्ड –

प्रकाशन एवं भाषान्तरण बार्ड में निम्नलिखित होंगे –

- क) कुलपति (अध्यक्ष)
- ख) संकायों के अधिष्ठाता
- ग) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के चार अध्यक्ष, जो कि चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- घ) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष

ड) कार्य परिषद् का एक नामनिर्देशित

च) अनुसंधान केन्द्र का निदेशक (सदस्य सचिव)

- 8) बॉर्ड के सदस्य ताम्र वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। मृत्यु, त्याग पत्र आदि के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति का नामनिर्देशन से कार्य परिषद् द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य उस मूल सदस्य की जिसके स्थान पर वह पदग्रहण करता है, शेष कालावधि के लिए पद धारण करेगा।
- 9) बॉर्ड एक वर्ष में कम से कम एक बार या जब कुलपति द्वारा बुलाई जाए एक बैठक करेगा। बॉर्ड की बैठक के लिए पांच सदस्यों से गणपूर्ति हूँगा।
- 10) कुलपति बॉर्ड का अध्यक्ष हूँगा तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेगा।
- 11) प्रकाशन एवं भाषान्तरण बॉर्ड के कार्य निम्नलिखित हूँगे –

क) विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त एवं सम्बद्ध संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के एवं ऐसे अन्यो के जू विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रकाशन सहायता देने अनुसंधान कार्य में समाविष्ट किए जाने उनकी अनुसंधान तथा/अथवा भाषान्तरण/प्रकाशन परियाजना आवेदन पत्रों पर विचार करना। इसके अतिरिक्त बॉर्ड राजस्थान का प्रभावित करने वाला आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से सम्बन्धित अन्वेषण करने वाले बाहर के व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर भी विचार कर सकेगा। निर्धारित शर्तों पर उक्त के सम्बन्ध में अन्तिम स्वाकृति हेतु सिफारिश कार्य परिषद् का की जाएगा।

ख) कार्य परिषद् की स्वाकृति से निम्नलिखित प्रकाशन कार्यों का जिम्मा लेना-

- i. विश्वविद्यालय पत्रिका (जनरल) ।
- ii. स्नातकस्तर अध्ययनों एवं अनुसंधानों के ऐसे परिणाम, जिन्हें बाई प्रकाशित करने का विनिश्चय करें ।
- iii. कोई अन्य साहित्यिक या वैज्ञानिक कार्य, जो बाई द्वारा उपयुक्त समझा गया हो एवं
- iv. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कार्य करें

ग) विश्वविद्यालय में आयोज्य प्रसार-व्याख्यानों एवं परिसरेतर व्याख्यानों के लिए तथा उनके प्रकाशन के लिए समुचित प्रबन्ध करना ।

12) अनुसंधान केन्द्र दुर्लभ पाण्डुलिपियों, प्रदर्शों, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्रियों, ज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सम्बद्ध वाडिय कैंसेट्स का एक आधारभूत भंडार तथा पुरातात्विक महत्व की मदों का एक संग्रहालय एवं निक्षेपागार (डिपोजिटरी) सन्धारित करेगा ।

13) संग्रहालय – संग्रहालय पाण्डुलिपियों एवं पुरातात्विक महत्व की सामग्रों के अनुरक्षण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त संग्रहालयाध्यक्ष द्वारा प्रबन्धित होगा। संग्रहालय एवं निक्षेपागार का कार्य उपयुक्त अध्यादेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

14) प्रौद्योगिकी इकाई – प्रौद्योगिकी इकाई जिसमें माइक्रोफिल्मिंग कम्प्यूटरीकरण एवं फाटाकॉपिंग शामिल हैं, अनुसंधान केन्द्र के एक अभिन्न अंग के रूप में तथा निदेशक अनुसंधान केन्द्र के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा ।

15) प्रौद्योगिकी इकाई के प्रबन्ध के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकीविद् पुस्तकालयाध्यक्ष हूँगा ।

16) प्रौद्योगिक इकाई के अधीन प्रभाग -

प्रौद्योगिक इकाई के अधीन निम्न प्रभाग होंगे -

- क) कम्प्यूटर प्रभाग - यह यू.ज.स. द्वारा प्रारम्भ किये गए भारत के समस्त प्रमुख पुस्तकालयों का नेटवर्क में संयोजित करने वाले 'इन्फ्लिबनेट' में भागद्वारी करते हुए संसाधन-सहकार उपक्रम के साथ फ्लॉपी एवं डिस्क आदि की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा करेगा ।
- ख) दृश्य-श्रव्य प्रभाग - यह यथार्थ ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ भाषा शिक्षण का प्रयत्न करने हेतु दृश्य एवं श्रव्य (आडियो एवं वीडियो) कैसेटों का एक आधारभूत संग्रह निर्मित करेगा और रखेगा ।
- ग) माइक्रोग्राफी प्रभाग - यह महत्वपूर्ण बृहत संदर्भ ग्रन्थों की सॉडी. राम का एक समंक आधारित संग्रह तैयार करेगा ।
- घ) माइक्रोफार्म प्रभाग - यह आधुनिक साहित्य की सामयिक पत्रिकाओं, शोध प्रबन्धों (थेसिस) आदि का संग्रहण कर स्थान एवं अन्य व्यय की बचत करेगा ।

उपाधियां (डिग्री) -

28.

1) विश्वविद्यालय निम्नलिखित उपाधियां (डिग्री) प्रदान करेगा -

वेद-वेदांग संकाय -

शास्त्र (स्नातक)

आचार्य (स्नातकोत्तर)

- विद्यावारिधि (प०एच.डी.)
वाचस्पति (डी. लिट्.)
- दर्शन संकाय (दर्शनशास्त्र) - शास्त्र० (स्नातक)
आचार्य (स्नातक०तर)
विद्यावारिधि (प०एच.डी.)
वाचस्पति (डी. लिट्.)
- साहित्य एवं संस्कृति संकाय - शास्त्र० (स्नातक)
आचार्य (स्नातक०तर)
विद्यावारिधि (प०एच.डी.)
वाचस्पति (डी. लिट्.)
- श्रमण विद्या संकाय - शास्त्र० (स्नातक)
आचार्य (स्नातक०तर)
विद्यावारिधि (प०एच.डी.)
वाचस्पति (डी. लिट्.)
- आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय – शिक्षाशास्त्र० (स्नातक)
शिक्षाआचार्य (स्नातक०तर)
विद्यावारिधि (प०एच.डी.)
वाचस्पति (डी. लिट्.)
- 2) अन्य पाठ्यक्रम – विश्वविद्यालय विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों से सम्बन्धित ऐस० उपाख्या
(डिप्ल०)प्रमाण पत्र एवं अन्य उपाधियों क० प्रदान भ० कर सकेगा ज० वह
उचित समझे ।

- 3) मानद उपाधियां – विश्वविद्यालय समय-समय पर ऐसे व्यक्तियों को जिनका अवदान ज्ञान की विभिन्न शाखाओं अथवा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा हो, ऐसे मानद उपाधियां प्रदान कर सकेगा, जिनका विनिश्चय कार्य परिषद् और कुलपति द्वारा किया जाए एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

उपादान (ग्रेच्युटी)

29. उपादान से सम्बन्धित प्रावधान वे होंगे जो राजस्थान सरकार के उपादान नियमों में अन्तर्विष्ट हैं।

पेंशन एवं सामान्य भविष्यनिधि –

30. पेंशन एवं सामान्य भविष्यनिधि से सम्बन्धित प्रावधान वे होंगे जो राजस्थान सरकार के पेंशन एवं सामान्य भविष्यनिधि नियमों में अन्तर्विष्ट हैं ।

विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/महाविद्यालयों में प्रवेश नामांकन आदि से सम्बन्धित नियमों की प्रयोज्यता –

31. सम्बद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश, नामांकन, अनुशासन, स्वास्थ्य एवं आवास, छात्रवृत्तियों, पदकों (मेडल्स) एवं पुरस्कारों तथा परीक्षाओं को विनियोजित करने वाले मामलों के समस्त विनियम अध्यादेश एवं नियम यथावश्यक परिवर्तन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे अध्यापन विभागों एवं महाविद्यालयों पर लागू होंगे तथा सदैव से लागू हुए समझे जाएंगे तथा इन मामलों के लिए ऐसे अध्यापन विभाग या महाविद्यालय को एक सम्बद्ध महाविद्यालय समझा जाएगा तथा उसे सदैव सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में समझा जाएगा ।

कुलपति की परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें –

32.

- 1) कुलपति की परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें शासकीय अधिसूचना 1995 के अनुसार होंगी ।
- 2) उसे ऐसे संवेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे ।

विशेष -

यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कुलपति नियुक्त किया जाता है तो उसकी पेंशन एवं मृत्यु-निवृत्ति-उपदान (डैथ-कम-रिटायरमेंट-ग्रेच्युटी) के बराबर की राशि को उसके संवेतन में से समायोजित किया जाएगा ।

- 3) उसे एक शासकीय निःशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा, जो पूरी तरह सुसज्जित होगा ।

विशेष -

शासकीय आवास उपलब्ध नहीं होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा एक उपयुक्त वासगृह किराये पर लिया जाएगा तथा कुलपति को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन किराये पर लिए गए भवन का मासिक किराया 10,000 रुपया प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

- 4) शब्द 'पूर्णतया सुसज्जित' अध्यादेशों के अन्तर्गत परिभाषित किया जाएगा ।
- 5) वह विश्वविद्यालय के प्रभावशाली नियमों के अनुसार अवकाश, विश्वविद्यालय भविष्यनिधि तथा चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के परिलाभों के लिए अधिकृत होगा ।
- 6) वह प्रभावशाली नियमों के अधीन निर्धारित की गई दर पर यात्रा एवं विश्राम भत्तों के लिए अधिकृत होगा ।

- 7) वह ऐसे अन्य भत्तों एवं सुविधाओं के लिए अधिकृत हएगा जए समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा विनिश्चित की जाएगा ।

विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारह -

33.

- 1) उपाधियां (डिग्रियां) प्रदान करने एवं स्वर्ण पदकों का पुरस्कार देने के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारह, यथाशक्य, प्रतिवर्ष कुलपति द्वारा निश्चित किए गए दिनांक कए विश्वविद्यालय परिसर, में आयोजित किया जाएगा । जब कार्य परिषद् द्वारा आवश्यक समझा जाएगा एक विशेष दीक्षान्त समारह भए आयोजित किया जा सकेगा।
- 2) जब कुलपति का इससे समाधान हए जाए कि विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारह कए समुचित कारणों से आयोजित नहीं किया जा सकता है तए डिग्रियां, डिप्लमा एवं स्वर्ण पदकों/पुरस्कारों/ट्राफियों कए दीक्षान्त समारह आयोजित किये बिना प्रदान किया जाएगा ।

34. विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारह में विश्वविद्यालय का निगमित निकाय रहेगा ।

35. विशेष दीक्षान्त समारह कए छहकर विश्वविद्यालय के अन्य दीक्षान्त समारहों के लिए सूचना कम से कम छह सप्ताह पूर्व दी जावेगा ।

36. कुलसचिव द्वारा इस सूचना के साथ विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारह के प्रत्येक सदस्य कए उसमें पालन की जाने वालए प्रक्रिया का एक कार्यक्रम जारी किया जाएगा ।

37. विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारह एवं संस्थानों के दीक्षान्त समारहों में पालन की जाने वालए प्रक्रिया अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जायेगा ।

38.

1) उपाधियां/उपाख्यायें प्रदान करने के लिए किस॥ दीक्षान्त समारह में उपस्थित हएे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी क॥ निम्नलिखित पाशाक तथा सफेद रंग का सुनहरे रंग की बॉर्डर वाला एक स्कार्फ, केसरिया रंग का एक बैज, जिसमें विश्वविद्यालय का प्रतएक चिह्न, दीक्षान्त समारह का वर्ष एवं संकाय का नाम उत्कीर्ण हएा, तथा उसके साथ द॥ पट्टियां उपलब्ध कराई जायेंग॥ ज॥ सम्बन्धित संकाय के रंग क॥ बतालायेंग॥ ।

पुरुषों के लिए - सफेद धात॥ एवं सफेद कमाज/सफेद पायजामा या पेन्ट/कुर्ता या सफेद जाधपुरी काट ।

महिलाओं के लिए - सफेद साडी एवं सफेद पायजामा/कुर्ता/सफेद सलवार, सफेद कुर्ता एवं सफेद चुन्न॥

2) दीक्षान्त समारह के अवसर पर कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव एवं कार्य परिषद् के सदस्य निम्नलिखित पाशाक, सुनहरी रंग की चौड़ी किनारी वाले सफेद रंग का स्कार्फ तथा सैफ्रान (केसरिया) रंग का उस॥ प्रकार का बैज पहनेंगे ज॥ अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लेखित किया गया है, लेकिन इसका आकार उससे बड़ा हएा तथा संकाय के रंग की द॥ पट्टियां (स्ट्रिप्स) होंग॥ ।

पुरुषों के लिए - सफेद जाधपुरी काट या शेरवान॥ या कुर्ता, सफेद पेन्ट या धात॥ या पायजामा के साथ ।

महिलाओं के लिए - सफेद साडी सफेद ब्लाउज के साथ ।

39. विश्वविद्यालय एवं संस्थानों के दीक्षान्त समारह के पूर्व कार्य परिषद् की बैठक में समस्त उपाधियों एवं उपाख्याओं का वितरण किया जाएगा। उपाधि (डिग्रा) एवं

उपाख्या (डिप्लामा) पर वह दिनांक अंकित हऱा। जिसकऱ कार्य परिषद् उन्हें प्रदान करेगऱ ।

40. विश्वविद्यालय निकायों/प्राधिकरणों में निर्वाचन की प्रक्रिया -

- 1) कुलसचिव उस दिनांक से जिसकऱ कई रिक्ति (रिक्तियां) भरी जाएगऱ कम से कम माह पूर्व निर्वाचन की सूचना जारी करेगा तथा उस सूचना में उल्लेखित किये जाने वाले समय के भऱतर उस सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्रों कऱ मांगेगा। यह समय उस दिनांक से जिसकऱ निर्वाचक नामावलऱ प्रकाशित की जातऱ है, 15 दिन पूर्व से कम का नहीं हऱा । यह सूचना कुलपति द्वारा चयनित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगऱ ।
- 2) निर्वाचन के दिनांक से कम से कम 50 दिन पहले कुलसचिव निर्वाचक नामावलऱ कऱ प्रकाशित करेगा, जिसमें उस सभऱ के नामों एवं पतों का उल्लेख किया जावेगा जऱ मतदान करने के लिए अर्ह हैं तथा उसमें नामावलऱ के अंतिम प्रकाशन के समय से हुई कुलसचिव कऱ सूचित किये गये परिवर्तनों कऱ भऱ शामिल किया जाएगा । निर्वाचक नामावलऱ की प्रतियां 100 रुपये प्रति कॉपऱ उसके मूल्य के पूर्व भुगतान पर विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध हऱा। यदि वह डाक से चाही गई है तऱ डाक व्यय अलग से संदेय हऱा ।
- 3) किसऱ निर्वाचन से ठीक पिचहतर दिनों की अवधि के दौरान किसऱ का भऱ नामांकन नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि कुलपति कऱ यदि निर्वाचन के दिनांक से कम से कम स्पष्ट 25 दिन पूर्व कई कमऱ या गलत प्रविष्टियां कुलपति के ध्यान में लाई जातऱ हैं तऱ निर्वाचक नामावलऱ कऱ ठीक करने या नामों कऱ जाऱकर परिवर्तित कर उसे अनुपूर्त करने की शक्ति प्राप्त हऱा। कुलपति

का निर्णय अन्तिम हऱा तथा निर्वाचक नामावलऱ में किसऱ छूटी या गलत प्रविष्टि के कारण कई भऱ निर्वाचन अवैध नहीं हऱा ।

41. उक्त परिनियमों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना से तऱम दिनों के भऱतर यदि कुलपति के ध्यान में निर्वाचन के बारे में कई विवाद/शिकायत लिखित में लाई जातऱ है तथा यदि कुलपति का इससे समाधान हऱ जाता है कि वह प्रथम दृष्ट्या जांच किये जाने का मामला है तऱ वह इस प्रयऱजनार्थ एक समिति की नियुक्ति करेगा । जिसमें निम्न होंगे -

- 1) कुलपति या उसका नाम निदेशित-अध्यक्ष
- 2) कार्य परिषद् का एक सदस्य जऱ कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ।
- 3) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान ।
- 4) एक विधि विशेषज्ञ, जऱ कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, एवं
- 5) कुलसचिव

विशेष -

तऱम सदस्यों से गणपूर्ति हऱा ।

बशर्ते कि ऐसे किसऱ विवाद या शिकायत की किसऱ सूचना कऱ नहीं लिया जायेगा जऱ निर्वाचनों के परिणाम की अधिसूचना के दिनांक से तऱम दिनों की अवधि समाप्त हऱने के बाद प्रस्तुत की गई है । समिति का निर्णय अन्तिम हऱा ।

41.

- 1) (आकस्मिक रिक्तियों के मामले तथा पदावधि एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए हऱने के मामले के सिवाय) सभऱ मामलों में जिनमें किन्ही प्राधिकरणों/निकायों की बैठक में चुनाव आयऱजित कराये जाते हैं उस बैठक की

जिसमें चुनाव आयोजित किया जाना है, एक सूचना कुलसचिव द्वारा इस बैठक की दिनांक से कम से कम 30 स्पष्ट दिन पहले डाक प्रमाण-पत्र के अधिन सदस्यों के पास भेजा जायेगा। इस सूचना में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा, जिनमें आगामी छह माहों की अवधि या ऐसा समयावधि जो कुलपति द्वारा अवधारित की जाएगी के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को शामिल किया जा सकेगा। नाम-निर्देशन पत्र कुलसचिव को इस तरह भेजे जायेंगे कि वह बैठक के दिनांक से कम से कम 15 स्पष्ट दिन पूर्व उसके पास पहुंच जायेंगे। कुलसचिव इन नाम निर्देशनों की एक सूची डाक प्रमाण पत्रों के अधिन सम्बन्धित प्राधिकरण के सदस्यों को बैठक के दिनांक से कम से कम 8 स्पष्ट दिन पूर्व भेजेगा। निर्वाचन के लिए इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थिता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक सूचना द्वारा, जो विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष या विश्वविद्यालय महाविद्यालय के या सम्बद्ध महाविद्यालय, जैसे भू स्थिति हू के प्राचार्य द्वारा उसके कार्यालय की मुहर के अधिन विधिवत अनुप्रमाणित की जायेगी इस तरह से प्रत्याहृत कर सकेगा कि वह बैठक के लिए निश्चित किये गये समय से पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच सके। प्रत्याहरण करने की सूचना जो इन औपचारिकताओं एवं उपबंधों का अनुपालन नहीं करेगी उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। कोई अभ्यर्थी भू मतदान किये जाने से पूर्व किस भू समय बैठक में व्यक्तिगत रूप से अपना अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा, जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जायेगा। किस अभ्यर्थी को जिसने लिखित में या मौखिक रूप से अपना अभ्यर्थिता प्रत्याहृत कर ली है, अपना प्रत्याहरण रद्द करने की अनुमति नहीं दी

जायेगा। परन्तु यह कि कुलपति अपने विवेक से निर्देश दे सकेगा कि नामनिर्देशनों का स्वयं बैठक में आमंत्रित किया जायेगा तथा इस दशा में जब बैठक की सूचना उस बैठक के दिनांक से कम से कम 15 स्पष्ट दिन पूर्व सदस्यों को भेजा जावेगा तब उस बैठक का अध्यक्ष विनिश्चित किये जाने वाले तरीके से उस बैठक में नामनिर्देशन पत्र (उसके बाद प्रत्याहरण) आमंत्रित करेगा।

- 2) यदि नामनिर्दिष्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक है, तो उस बैठक में मतदान करवाया जायेगा तथा वह निर्वाचन एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा होगा। नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों के नामों वाले मत पत्रों को उस बैठक में दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित सदस्य मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। बैठक का अध्यक्ष उस समय को निर्धारित करेगा, जिसके दौरान मत पेट्टी मतपत्रों को प्राप्त करने के लिए खुल रहेगा तथा इस समय-समय की सूचना बैठक में मतदाता को दी जायेगी। मतपत्रों की जांच उस बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाले जांचकर्ताओं द्वारा की जायेगी। मतपत्रों की जांच करने के बाद अध्यक्ष चुनाव के परिणामों की उद्घोषणा करेगा तथा उन मतपत्रों को नष्ट कर दिया जायेगा। सभी मामलों में, अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा। जब दो या अधिक प्राधिकरण या निकाय कोई प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत हों तथा निर्वाचन किस एक बैठक में होगा है तो वह सदस्य जो दो या अधिक प्राधिकरण या निकायों के लिए सामान्य है, केवल एक मत देने के लिए अधिकृत होगा।

- 3) यदि वैध नामनिर्देशन-पत्रों की संख्या भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या के बराबर है तब उक्त प्रकार से नामनिर्दिष्ट किये गये अभ्यर्थियों का निर्वाचित किया हुआ घोषित किया जायेगा तथा शेष रिक्तियों के लिए, उस बैठक में यदि आवश्यक हो नये नाम निर्देशन पत्र आमन्त्रित किए जाएंगे तथा निर्वाचन कराया जाएगा ।
- 4) कोई भी निर्वाचन मतदाताओं की सूची में किसी गलत प्रविष्टि या लपट हज़मे या किसी संसूचना के प्राप्त न हज़मे या किसी मतदाता के बैठक में उपस्थित नहीं हज़मे या मतदान में भाग नहीं लेने मात्र के कारण अवैध नहीं हज़गा ।
43. जब बैठक में निर्वाचन नहीं कराये गये हों तब कुलपति उसे या तब डाक द्वारा या आगे परिनियम 44 के अधिनियम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराने का विनिश्चय करेगा । यदि निर्वाचन डाक द्वारा कराया जाता है तब निर्धारित की गयी प्रक्रिया जहां तक सम्भव हज़गा, कुलपति के स्वविवेक पर अपनायत जायेगा ।
- 44.
- 1) कुलसचिव प्रत्येक निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, जिसमें मतदान करने के लिए अर्ह मतदाताओं के नाम व पते लिखे जायेंगे । विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबंधों के अधिनियम मतदाता हज़मे के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता से सम्बन्धित मामलों पर कुलपति का निश्चय अन्तिम हज़गा । निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ प्रति कॉपी निश्चित किये गये मूल्य का पूर्वभुगतान करने पर विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध होंगी तथा यदि इसे डाक द्वारा चाहा जायेगा तब डाक व्ययों का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ।
- 2) यदि निर्वाचक नामावली में किसी लपट या गलत प्रविष्टियां मतदान के दिनांक से कम से कम 25 स्पष्ट दिन पूर्व कुलपति के ध्यान में लाई जात है तब वह उस

निर्वाचक नामावलक सही करने का या इसमें नाम जाङने, परिवर्तित करने या लपित करने का अधिकारी हणुा । कुलपति का विनिश्चय अन्तिम हणुा तथा कई भू निर्वाचन, निर्वाचन नामावलक में कई लप या गलत प्रविष्टि हणुे मात्र से अवैध नहीं हणुा ।

3) कुलसचिव निर्वाचन की एक सूचना जारी करेगा, जिसमें निर्वाचन द्वारा भरी जाने वालर रिक्तियों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा तथा इस सूचना में उल्लेख्य समय के भासर उस सम्बन्ध में नामनिर्देशन-पत्रों की मांग करेगा। यह समय इस दिनांक से जिसक सूचना जारी की गय है, 15 दिनों से कम पूर्व की नहीं हणुा ।

4) कई भू दू निर्वाचन नामावलक में नामित किसू व्यक्ति कू अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे । ऐसा नाम निर्देशन डाक द्वारा नामनिर्देशन पत्र भेजकर या विश्वविद्यालय कार्यालय में पूर्व विनिर्दिष्ट दिनांक कू 4.00 बजे अपराह्न से पहले तक उसे सुपुर्द करके किया जा सकेगा।

5) नाम निर्देशन पत्र विहित प्रपत्र में हणुा जू 5 रुपये प्रति नामनिर्देशन पत्र का भुगतान करने पर कुलसचिव के कार्यालय से प्राप्त हणुा। (यदि इसे डाक द्वारा चाहा गया तू डाक प्रभार अतिरिक्त हणुा तथा इसकी राशि कू कुलसचिव द्वारा नाम निर्देशन पत्र आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित की जायेगा ।)

विधिवत ढरे नामनिर्देशन पत्र पर दू निर्वाचकों द्वारा तारीख लिखू जायेगा एवं हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसमें दू हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम पूरे पते एवं पद सहित यदि कई हू दिये जाने चाहियें । इन दू हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक प्रस्तावक हणुा तथा दूसरा उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला हणुा । कई भू

निर्वाचक उस संख्या से ज्यादा प्रस्तावों का समर्थन नहीं करेगा, जिस संख्या के लिये उपरिवर्णित तरीके से प्रस्ताव करने एवं उसका समर्थन किये जाने के बाद निर्वाचन आयोजित किया गया है। उक्त प्रकार से नाम निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उस नाम निर्देशन पत्र पर अपन० सहमति अंकित करेगा । नाम निर्देशन पत्रों क० आमंत्रित करने की सूचना में अपेक्षित संलग्नकों यदि काई ह० के साथ नाम निर्देशन पत्र क० इस प्रकार भर कर कुलसचिव के कार्यालय से प्राप्त तत्प्रयोजनार्थ विहित एक बन्द लिफाफे में भेजा जायेगा ज० कुलसचिव के पास विनिर्दिष्ट दिनांक तक 4 बजे अपराह्न से पूर्व पहुंच जाना चाहिए । किस० भ० नामनिर्देशन पत्र क० ज० इन औपचारिकताओं एवं उपबन्धों की अनुपालना नहीं करेगा, रद्द कर दिया जाएगा ।

- 6) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए निश्चित किये गये दिनांक के बाद यथाशक्य शक्य, ऐसे समय एवं स्थान पर ज० कुलपति द्वारा निश्चित किया जायेगा, कुलपति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उन नाम निर्देशनों की जांच करेगा । अभ्यर्थी या इस सम्बन्ध में लिखित में उसके द्वारा विधिवत० प्राधिकृत किया गया उसका काई अभिकर्ता उस जांच में उपस्थित ह० के लिए अधिकृत ह०गा । जांचकर्ता/जांचकर्ताओं का विनिश्चय अन्तिम ह०गा जब तक कि कुलपति उन समस्त नाम निर्देशन पत्रों क० यदि उनकी राय में उनमें कुछ तकनाक्री त्रुटि की गई है और यह निर्देश नहीं देते हैं कि नामनिर्देशन पत्र नये रूप में आमंत्रित किये जायेंगे । इस विषय में कुलपति का विनिश्चय अन्तिम ह०गा ।

- 7) यदि वैध नामनिर्देशनों की संख्या भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या के बराबर है तो उक्त प्रकार से नामनिर्दिष्ट किये गये अभ्यर्थियों को निर्वाचित किया हुआ घोषित किया जायेगा । तथापि, यदि वैध नामनिर्देशनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम है तो उक्त प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों को विधिवत निर्वाचित किया हुआ समझा जायेगा तथा शेष रिक्तियों के लिए नये नामनिर्देशन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे ।
- 8) कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के विभाग के प्रधान या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय के, जैसा भी स्थिति हो प्राचार्य द्वारा अपने कार्यालय की माहुर के अधीन विधिवत प्रमाणित अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक सूचना द्वारा अपने अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा तथा प्रत्याहरण के लिये निश्चित किये गये दिन को जहाँ नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये अन्तिम तारीख के बाद 7 स्पष्ट दिन होंगे, अधिकतम 4 बजे अपराह्न तक कुलसचिव को सुपुर्द कर सकेगा । प्रत्याहरण की किस भी ऐसी सूचना को जहाँ इन औपचारिकताओं/उपबन्धों की अनुपालना नहीं करेगा उपेक्षित किया जायेगा । किस अभ्यर्थी को जिसने अपने अभ्यर्थिता प्रत्याहरित कर ली है उस प्रत्याहरण को रद्द कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- 9) कुलपति द्वारा निश्चित किये गये दिन व समय पर मतदान के लिये ऐसे समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय विभागों में प्रबन्ध किया जायेगा जहाँ मतदाता रहते हैं परन्तु यह कि स्थानात् मतदाताओं (अर्थात् जयपुर के मतदाताओं) के लिए मतदान की व्यवस्था एक या अधिक स्थानात् केन्द्रों पर की जा सकेगी ।

तथा ऐसे मामलों में मतदान के लिए प्रक्रिया आदि का विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा ।

10) सभके केन्द्रों पर मतदान कुलपति द्वारा निश्चित किये गए किसके एक सामान्य दिवस तथा समय पर आयोजित किया जाएगा तथा कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किया जायेगा । ऐसेके अधिसूचना मतदान के लिए निश्चित किये गए दिन से कम से कम 20 स्पष्ट दिवस पूर्व जारी की जायेगाके । कुलपति प्रत्येक केन्द्र पर एक पठसाके अधिकारी केके नियुक्त करेगा, जके सम्बद्ध महाविद्यालय/संघटक- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विभाग का प्रधान, जैसेके सभके स्थिति हके हके तथा ऐसे मामले में जहां प्राचार्य/विभागाध्यक्ष स्वयं मतदाता हके कुलपति एक ऐसे वैकल्पिक व्यक्ति केके पठसाके अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा जके उस महाविद्यालय/विभाग से मतदाता नहीं हैं ।

11) कुलसचिव मतदान के दिन से कम से कम 12 स्पष्ट दिवस पूर्व समस्त पठसाके अधिकारियों के पास पंजकेत डाक से निम्न वर्णित निर्वाचन सामग्रीके भेजेगा –

क) मतपत्र जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अभ्यर्थियों के नाम, तथा जहां सम्भव हके क्रम संख्या जिस पर अभ्यर्थियों के नाम निर्वाचक नामावलीके में प्रदर्शित हैं, दिए होंगे ।

ख) छके लिफाफे

ग) बडेके लिफाफे, जिनके बायें आधे भाग पर मतदाता की संख्या तथा पहचान करने के प्रमाण पत्र का एक प्रपत्र हके तथा दांये आधे भाग पर शब्द 'कुलसचिव , राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' लिखे होंगे, एवं

घ) कके अन्य कागजात जके तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक हके ।

- 12) यदि किस० पढासाढ अधिका० क० निर्वाचन सामग० प्राप्त नहीं हल० है त० वह मतदान के लिए निश्चित किये गये दिन से कम से कम 7 स्पष्ट दिवस पूर्व कुलसचिव क० या तत्प्रय०जनार्थ विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारी क० तार द्वारा सूचित करेगा । पढासाढ अधिकारी पर्याप्त समय रहते अग्रिम में निर्वाचन सामग० की सुपुर्दग० तथा उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में सुनिश्चित करेगा । तथापि किस० भ० निर्वाचन क० किस० संसूचना के नहीं दिए जाने या निर्वाचन सामग० सुपुर्द नहीं करने या किस० केन्द्र पर मतदान आय०जित नहीं करने के आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा ।
- 13) पढासाढ अधिकारी मतदाता क० महाविद्यालय/विभाग में उस/सही स्थान के बारे में सूचित करेगा जहां मतदान कुलसचिव द्वारा अधिसूचित किये गये दिन व समय पर ह०गा । पढासाढ अधिकारी मतदान के संचालन क० सुचारू ढंग से विनियमित करने के लिए उत्तरदाय० ह०गा । वह मतदान के संचालन में किस० मतदाता की काँई सहायता नहीं लेगा । मतदान के लिए निश्चित किये गये दिन व समय पर प्रत्येक मतदाता क० उसकी बारी आने पर मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद एक मतपत्र, छऱ्टा लिफाफा, एक अधिक बड़ा लिफाफा तथा ऐस० अन्य सामग० ज० आवश्यक ह० दी जायेग० ।
- 14) मतदाता उस समय अपन० अधिमानता के क्रम में इसमें इसके बाद (ण) एवं (त) के अधऱढ दिए गये तरीके से चिह्नित करेगा तथा विधिवत ढभरे गये (किन्तु मतदाता के नाम या हस्ताक्षर के बिना) मत पत्र क० छऱ्टे लिफाफे में रखेगा तथा उसके लिफाफे क० उसके फलैप पर गोंद चिपकाकर बंद करेगा । इसके बाद वह उस छऱ्टे लिफाफे क० एक बड़े लिफाफे में डालेगा तथा उसके फलैप पर गोंद

लगाकर उसे बन्द करेगा । इस पर मतदाता उस बड़े लिफाफे पर पहचान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसके हस्ताक्षरों का पाठासप्त अधिकारी के शासकीय पद की मुहर से उसकी उपस्थिति में पाठासप्त अधिकारी के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा तथा वह उस बड़े लिफाफे का तत्स्थान पर ही पाठासप्त अधिकारी का लौटा देगा ।

15)–

क) प्रत्येक निर्वाचक एक संक्रमणप्र मत रखेगा ।

ख) किसका निर्वाचक का अपना मत अभिलिखित करने में –

i. अपने मत पत्र पर (तत्प्रयत्नार्थ दिये गये खालका स्थान पर)

उस अभ्यर्थी के जिसके लिये वह मतदान करता है, नाम के सामने '1' अंक रखना चाहिए ।

ii. इसके अतिरिक्त वह उतने अन्य अभ्यर्थियों के लिए जिन पर वह

प्रसन्न है उनके नाम के सामने सम्बन्धित 0, 2, 3, 4, 5 अंक तथा इस प्रकार सततसंख्या क्रम में रखकर अपने प्रसादानुसार

अपना पसन्द या अधिमान के क्रम का निर्दिष्ट कर सकेगा, एवं

iii. उसे अभ्यर्थियों के नामों के सामने (तत्प्रयत्नार्थ दिये गये

खालका खाने में) 1, 2, 3, 4 अंक लगाना चाहिए तथा उन्हें

अभ्यर्थियों के नाम पर नहीं लगाना चाहिए ।

16) मतपत्र विधिअमान्य (अवैध) हऱा, यदि

क) अंक '1' का अकेला एक प्रथम अधिमान का इंगित करता है, नहीं लगाया

गया है, या

- ख) अंक '1' ज० अकेला एक प्रथम अधिमान क० इंगित करता है, एक से अधिक अभ्यर्थियों के सामने लगाया गया है, या
- ग) अंक '1' ज० अकेला एक प्रथम अधिमान क० इंगित करता है, तथा कुछ अन्य अंक/शब्दों क० भ० उस० अभ्यर्थी के सामने लगाया गया है, या
- घ) यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि किस अभ्यर्थी के लिए मतदाता का प्रथम अधिमान अभिलिखित किया गया है, या
- ङ) मतदाता द्वारा अरेबिक अंक 1, 2, 3, 4 के अतिरिक्त अन्य किस० अंक (अंकों) क० उपय० अपन० अधिमानता क० इंगित करने के लिये किया गया है, या
- च) कोई चिह्न (जिसमें क०मा-विराम (,) इनवर्टेड क०मा-उद्धरण चिह्न(" ") वृत्त(0) आदि शामिल हैं) मतदाता द्वारा लगाया गया है, या
- छ) मतदाता द्वारा कोई चिह्न या हस्ताक्षर किया गया ह० जिसमें वह पहचाना जा सके, या
- ज) अधिमानता क्रम क० सूचित करने वाले अंक 1, 2, 3, 4 अभ्यर्थियों के नामों पर (पूर्व में लगाये जाने के स्थान पर) बाद में लगाये गये हों, या
- झ) मतदाता के अधिमान क० इंगित करने वाले अंकों में कोई खरोंच या परिवर्तन ह० ।

17) यदि बड़े लिफाफे पर मतदाता के हस्ताक्षर एवं/या अपन० कार्यालय० पद की मुहर के अधि० पा०सा० अधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन नहीं किया गया है, त० उस लिफाफे की उपेक्षा की जायेग० तथा उसमें रखे गये मतपत्र क० अवैध समझा जायेगा ।

- 18) यदि किस० मतदाता ने कोई मतपत्र खराब कर दिया है त० पाठासभ अधिकारी मतदाता से खराब किये हुए मतपत्र क० प्राप्त कर, एक दूसरा मतपत्र जारी कर सकेगा।
- 19) मतदान के लिये निश्चित किये गये समय के समाप्त होने पर पाठासभ अधिकारी, मतदाताओं से उसके द्वारा संग्रह किये गये मतपत्रों वाले समस्त बड़े लिफाफों क० उनसे भ० और बड़े एक लिफाफे या पार्सल में बंद करेगा तथा उस पर विधिवत० मुहर लगा० होगा० एवं (अमुक निकाय का नाम) का निर्वाचन शब्द लिखे होंगे, तथा वह उसे उस० दिन या उसके अगले दिन केवल 200 रुपये के लिये बमित डाक द्वारा 'कुलसचिव, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर' क० या ऐसे अन्य अधिकारी के नाम पर ज० तत्प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया जायेगा, इस तरह भेजेगा कि वह मतपत्रों की जांच के लिये निश्चित दिवस एवं समय से पर्याप्त समय पूर्व उसके पास पहुंच जायेगा, पार्सल में एक पृथक० लिफाफा वह भ० रखा जायेगा, जिसमें खराब किया हुआ मतपत्र यदि कोई ह० खाल० उपयुक्त मतपत्र, मतदान के समय मतदाताओं से हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद की उनकी सूच० तथा मतदान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय क० भेज० जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य निर्वाचन सामग्री/सूचना होगा०
- 20) मतपत्रों की जांच के लिये सूचित किये गये दिनांक व समय की समाप्ति के बाद कुलसचिव द्वारा ज० भ० मतपत्र प्राप्त किये जायेंगे, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा। किस० भ० निर्वाचन क० मात्र किस० संसूचना क० या मतपत्र वाला लिफाफा/पार्सल कुलसचिव क० सुपुर्द नहीं किये जाने से अवैध नहीं समझा जायेगा ।

परीक्षा शुल्क -

45. विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं उपाधियों एवं उपाख्याओं आदि के लिए

नियमित विद्यार्थियों से निम्नानुसार परीक्षा शुल्क वसूल किया जायेगा -

शास्त्र (स्नातक) -

प्रथम भाग	-	500/-
द्वितीय भाग	-	535/-
तृतीय भाग	-	595/-

आचार्य (स्नातक) -

प्रथम भाग	-	690/-
द्वितीय भाग	-	750/-

शिक्षा शास्त्र (स्नातक) - 1125/-

शिक्षाचार्य (स्नातक) - 1125/-

विद्यावारिधि (पीएच.डी.)

आवेदन पत्र का शुल्क	-	50/-
पंजायन शुल्क	-	100/-
परीक्षा शुल्क	-	300/-

वाचस्पति (डी.लिट्)

आवेदन पत्र का शुल्क	-	100/-
पंजायन शुल्क	-	200/-
परीक्षा शुल्क	-	500/-

46. निम्नलिखित के सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य शुल्कों का भुगतान किया

जायेगा-

1) परिणामों का घोषित करने पर छात्रों का अंक तालिकाएं सधे तुरन्त वितरित करने के लिए अतिरिक्त शुल्क	-	25/-
2) अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने के लिए शुल्क	-	50/-
3) प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क	-	50/-
4) अस्थाई (प्रविजनल) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क	-	50/-
5) पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क	-	50/-
6) नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क	-	50/-
7) नामांकन की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए शुल्क	-	50/-
8) आयु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क	-	50/-
9) नाम में परिवर्तन या परिवर्धन के लिए शुल्क	-	100/-
10) विश्वविद्यालय विभाग/महाविद्यालय द्वारा अन्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क	-	25/-
11) उपाधि/उपाख्या प्रमाण-पत्र का अंग्रेजी रूपान्तरण जारी करने के लिए शुल्क	-	100/-
12) निम्न की द्वितय प्रतियां जारी करने के लिए शुल्क		
क) प्रव्रजन प्रमाण-पत्र	-	50/-
ख) चालू परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ ही अंकतालिका के लिए शुल्क	-	25/-
ग) पिछले वर्षों की परीक्षाओं की अंकतालिकाएं	-	25/-
घ) प्रवेश-पत्र	-	15/-

ड) पात्रता या नामांकन प्रमाण-पत्र - 15/-

च) उपाख्या या प्रमाण-पत्र या उपाधि - 50/-

13) कॉलेज में नहीं पढ़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण

शिविर में यदि कोई ह॥ भाग लेने के लिए प्रति शिविर - 100/-

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम परीक्षा यदि कोई ह॥ का वह शुल्क ह॥, ज॥ स्नातक भाग प्रथम परीक्षा के लिए निर्धारित किया ह॥।

उपाख्या पाठ्यक्रम परीक्षा यदि कोई ह॥ का शुल्क वही ह॥, ज॥ स्नातक भाग द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित किया ह॥।

47. पूर्व छात्रों एवं गैर महाविद्यालयीय अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क प्रभार-नियमित

विद्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 50/- रुपये।

पूर्व छात्रों तथा गैर महाविद्यालयीय अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार शुल्क और लिया जायेगा।

1) पूर्व छात्रों से आवेदन शुल्क - 50/-

2) गैर महाविद्यालयीय आवेदन शुल्क - 100/-

3) गैर महाविद्यालयीय अभ्यर्थियों से पंजायन शुल्क - 100/-

4) गैर महाविद्यालयीय अभ्यर्थियों से विविध शुल्क - 100/-

परीक्षकों का पारिश्रमिक -

48. परीक्षकों का पारिश्रमिक से सम्बन्धित प्रावधान वे होंगे ज॥ इस सम्बन्ध में

राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों में दिए गए हैं।

याचना एवं परिनिरीक्षण बाई -

49.

- 1) विश्वविद्यालय में एक आयोजना एवं परिनिरीक्षण बार्ड होगा, जिसमें निम्न होंगे –
 - क) कुलपति (अध्यक्ष)
 - ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाह्य विशेषज्ञ
 - ग) समस्त संकायों के अधिष्ठाता
 - घ) कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि
 - ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के स्वयं के कार्मिकों में से शैक्षिक प्रगति एवं विकास में विशेष रुचि रखने वाले 3 व्यक्ति
 - च) वित्त अधिकारी
 - छ) कुलसचिव (सचिव)
- 2) बार्ड की बैठकों में आवश्यकतानुसार विषय विशेष से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को कुलपति द्वारा विशिष्ट आमन्त्रित के रूप में बुलाया जा सकेगा।
- 3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को पदावधि तम वर्ष की होगी।
- 4) बार्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।
- 5) बार्ड की सिफारिशों को विद्यापरिषद् के माध्यम से कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6) उक्त बार्ड की शक्तियां एवं कृत्य वे होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।